रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 7, 1972/आश्विन 15, 1894
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7, 1972/ASVINA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी किए गये विधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th September 1972

S.R.O. 260.—In pursuance of rule 11 of the Armed Forces Headquarters Clerical Service Rules, 1968, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Competitive Examination) Regulations, 1969, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations m[redacted]lled the Armed Forces Headquarters Clerical S[redacted]ompetitive Examination) (Amendment) Regulation[redacted]

(2) They[redacted]nto force on the date of their publication in th[redacted]al Gazette

2. **Amendment of the Regulations.**—In the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Competitive Examination) Regulations, 1969:—

(1) For the words "Secretariat Training School" wherever they occur, the words "Institute of Secretariat Training and Management" shall be substituted

(2) in regulation 4, in clause (ii), for the figures and word "21 years" the words "twenty-five years" shall be substituted

[File No 94549/72/CAO(DPC)]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली 18 सितम्बर, 1972

का० नि[redacted]0 —सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिक सेवा नियम, [redacted]8 के नियम 11 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन विनियमों का नाम सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 विनियम का संशोधन – सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 में,

(1) जहां भी "सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल" शब्द आए हैं उन के स्थान पर "सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान" शब्द रख जाएंगे

(2) विनियम 4 में, खण्ड (ii) में, "21 वर्ष" अंक और शब्द के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फाइल सं० 94549/72/सी ए ओ (डी पी सी)]

S.R.O. 261.—In pursuance of rule 11 of the Armed Forces Headquarters Clerical Service Rules, 1968, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Lower Division Grade

Competitive Examination for Class IV Staff) Regulations, 1969, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Lower Division Grade Competitive Examination for Class IV Staff) (Amendment) Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of the Regulations.**—In the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Lower Division Grade Competitive Examination for Class IV Staff) Regulations, 1969, for the words "Secretariat Training School" wherever they occur, the words "Institute of Secretariat Training and Management" shall be substituted.

[File No. 94549/72/CAO(DPC).]

N. S. S. RAJAN,
Dy. Secy. & C.A.O

का० नि० ग्रा० 261.—सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिक सेवा नियम, 1968 के नियम 11 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिक सेवा (वर्ग 4 कर्मचारिवृन्द के लिए निम्न श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का नाम सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिक सेवा (वर्ग 4 कर्मचारिवृन्द के लिए निम्न श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम का संशोधन.—सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिक सेवा (वर्ग 4 कर्मचारिवृन्द के लिए निम्न श्रेणी ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1969 में, जहां भी "सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल" शब्द आए हैं उनके स्थान पर "सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान" शब्द रखे जाएंगे।

[फाइल सं० 94549/72/सी ए ओ (डी पी सी)]

एन० एस० एस० राजन,
उप सचिव और मुख्य
प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 26th September 1972

S.R.O. 262.—Whereas in pursuance of clause (i) of sub-section (1) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948) (hereinafter referred to as the said Act), Shri K. P. Singh Deo, Member of the Council of States (Rajya Sabha), has been elected by the Council of States (Rajya Sabha) to be a member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps for a period of one year from the 24th May, 1972;

And whereas in pursuance of clause (i) of sub-section (1) of section 12 of the said Act, Sarvashri Mani Ram Godara and Mohan Raj, Members of the House of the People (Lok Sabha) have been elected by the House of the People (Lok Sabha) to be members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps for a period of one year from the 23rd June, 1972;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the said Act, the Central Government hereby appoints the persons mentioned above as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps for the periods mentioned against each.

[File No. 13(16)71/D(GS II).]

P. S. RATNAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 सितम्बर 1972

का० नि० ग्रा० 262.—यतः राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) (जिसे इस में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अनुसरण में श्री के० पी० सिंह देव, राज्य सभा के सदस्य को राज्य सभा द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में 24 मई, 1972 से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है ;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 12 की [illegible] के खण्ड ( ) के अनुसरण में, सर्वश्री मणि राम गोदरा [illegible] राज, लोक सभा के सदस्य, को लोक सभा द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में 23 जून, 1972 से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है :

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के[illegible]र उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों को उनके सामने उल्लि[illegible] लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय [illegible] के सदस्यों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[फा० स 13(16) 71/डी (जी एस II)]

पी० एस० रतनम, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972